

निर्णय न इजलास प्रकाश राजपुसहित आई.प.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 538/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाइनेंसियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाइनेंस लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 फेज-1
साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीमल एरिया, जयपुर।

प्राणी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री दीनत राम शर्मा
निवासी :- 149, बुनकर मोहल्ला बाऊ, अमगकरणपुरा, तहसील चौगू, जिला जयपुर।
एवं खसरा नम्बर 5275, गू-खण्ड संख्या 10, करबा चौगू, जिला जयपुर।
2. श्रीमती संतोष पत्नी बाबूलाल शर्मा
निवासी :- 149, बुनकर मोहल्ला बाऊ, अमगकरणपुरा, तहसील चौगू, जिला जयपुर।
3. श्री मोहनलाल नितारवाल पुत्र श्री नानूसाम नितारवाल
निवासी :- चार्ड नम्बर 21, कुलुडी कनकड वाली की ज़ाणी, मोरीचा, जयपुर।

अप्राणी गण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री गरपत सिंह अधिवक्ता प्राणी वित्तीय संस्था की ओर से।

आवेश

दिनांक 19.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राणी वित्तीय संस्था ने अप्राणी ऋणी को दिनांक 15.01.2019 को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राणी श्री बाबूलाल शर्मा के स्वागित्व की संपत्ति खसरा नम्बर 5275, करबा चौगू, तहसील चौगू, जिला जयपुर स्थित गू-खण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 155.45 वर्गगज को बंधक रख कर राशि 15,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राणी ऋणी द्वारा प्राणी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राणी ऋणी को दिनांक 07.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूत ऋण राशि गय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राणी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली को अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 16,00,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने तत्परोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गम खाता कुल 16,07,996/- रुपये जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.09.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री बाबूलाल शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति खसरा नम्बर 5275, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर स्थित भू-खण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 155.45 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

५९
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला माजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर